आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.
महारत्न कंपनी

स्टॉक एक्सचेंजों के प्रकटीकरण के लिए घटनाओं या सूचना की महत्ता निर्धारित करने के लिए मानदंड संबंधी नीति

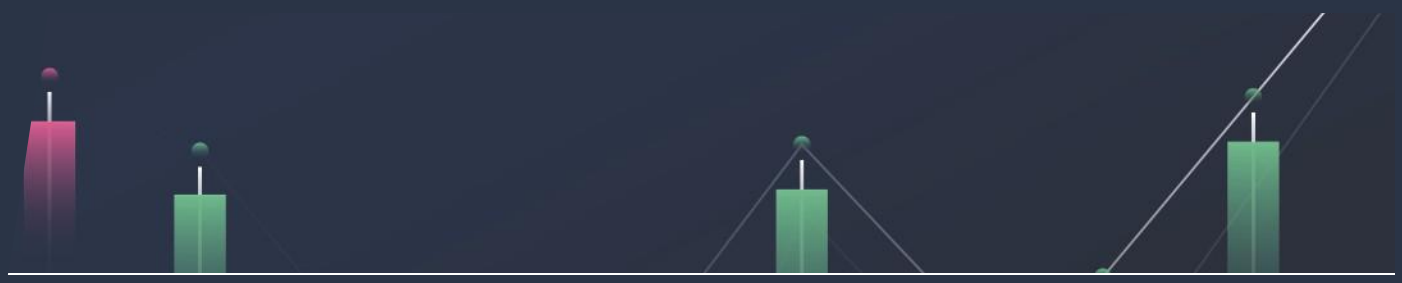

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के

विनियम 30 के अनुसार

27 मार्च, 2024 को यथा संशोधित

स्टॉक एक्सचेंजों के प्रकटीकरण के लिए घटनाओं या सूचना की महत्ता निर्धारित करने के लिए मानदंड संबंधी नीति

I. परिचय:

इस नीति को आरईसी लिमिटेड (आरईसी या कंपनी) की '**स्टॉक एक्सचेंजों के प्रकटीकरण के लिए घटनाओं या सूचना की महत्ता निर्धारित करने के लिए मानदंड संबंधी नीति**' कहा जाएगा। यह नीति सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियम] के विनियमन 30 की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गई है, जिसमें इसके संशोधन भी शामिल हैं।

II. उद्देश्य :

इस नीति का उद्देश्य कंपनी से संबंधित घटनाओं या सूचनाओं की महत्ता का पता लगाने के लिए समग्र शासन ढांचा प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी ऐसी घटनाओं और सूचनाओं को स्टॉक एक्सचेंजों तक तुरंत प्रसारित करे, जिन पर कंपनी की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं। यह नीति कंपनी के इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता के साथ सह-अस्तित्व में होगी।

III. परिभाषाएँ :

1. **कंपनी** का अर्थ है आरईसी लिमिटेड

2. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (51) में परिभाषित मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक।

3. **सूचीबद्धता समझौते** का अर्थ है सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी के बीच किया गया समझौता।

4. **आवश्यक घटना या आवश्यक जानकारी** का अर्थ है ऐसी घटना या जानकारी जो इस नीति के खंड IV के अनुसार निर्धारित की जा सकती है।

5. **नीति** का अर्थ है कंपनी की '**स्टॉक एक्सचेंजों के प्रकटीकरण के लिए घटनाओं या सूचना की महत्ता निर्धारित करने के लिए मानदंड संबंधी नीति',** जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

6. **विनियमन** का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 जिसमें कोई भी संशोधन, स्पष्टीकरण, परिपत्र या पुनः अधिनियमन शामिल है।

7. "**मुख्यधारा मीडिया**" में निम्नलिखित का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड शामिल होगा:
   i. भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत समाचार पत्र;
   ii. भारत सरकार के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त समाचार चैनल;
   iii. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत परिभाषित समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशक द्वारा प्रकाशित सामग्री; और
   iv. समाचार पत्र या समाचार चैनल या समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री

जैसा भी मामला हो, भारत के बाहर के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत या अनुमति प्राप्त या विनियमित हो;"

यहां परिभाषित नहीं किए गए किसी भी अन्य शब्द का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 या कंपनी पर लागू सीमा तक किसी अन्य लागू कानून या विनियमन में परिभाषित है।

IV. प्रकटीकरण हेतु घटना या सूचना की महत्ता निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति:

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (वित्त), कंपनी सचिव या सीएमडी द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, इस नीति के प्रावधानों के अधीन, स्टॉक एक्सचेंजों में प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से, नीचे दिए गए दिशानिर्देशों और/या अच्छे निगम प्रशासन के रूप में उपयुक्त समझी जाने वाली किसी भी जानकारी के अनुसार घटनाओं या सूचनाओं की महत्ता निर्धारित करने के लिए अलग-अलग अधिकृत होगा, जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।

घटनाओं/सूचना की महत्ता के निर्धारण के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जाएगा:

क) किसी घटना या सूचना का लोप, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक रूप से पहले से उपलब्ध घटना या सूचना में व्यवधान या परिवर्तन होने की संभावना हो,
या
ख) किसी घटना या सूचना को छोड़ देने के परिणामस्वरूप बाजार में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होने की संभावना, यदि उक्त चूक बाद में प्रकाश में आए; या
ग) किसी घटना या सूचना का लोप, जिसका मूल्य या मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित प्रभाव निम्न में से कम से कम हो:

1) कंपनी के पिछले अंतिम लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार टर्नओवर का दो प्रतिशत
2) कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार निवल संपत्ति का दो प्रतिशत, सिवाय उस स्थिति के जब निवल संपत्ति का अंकगणितीय मूल्य ऋणात्मक हो।
3) कंपनी के पिछले तीन लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार, कर के बाद लाभ या हानि के निरपेक्ष मूल्य के औसत का पांच प्रतिशत।

(घ) ऐसे मामले में जहां उप-खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट मानदंड लागू नहीं होते हैं, किसी घटना या सूचना को महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि कंपनी के निदेशक मंडल की राय में, घटना या सूचना को महत्वपूर्ण माना जाता है।
इसके अतिरिक्त,

- इस नीति के **अनुलग्नक I** में निर्दिष्ट सभी घटनाएं या जानकारी 'महत्वपूर्ण' मानी जाएंगी और कंपनी को ऐसी घटनाओं का प्रकटीकरण करना आवश्यक होगा।

- इसके अतिरिक्त, इस नीति के **अनुलग्नक II** में निर्दिष्ट घटनाओं का प्रकटीकरण, ऊपर दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाना है।

- यदि कोई घटना घटित होती है या कंपनी के पास कोई सूचना उपलब्ध होती है, जिसका उल्लेख **अनुलग्नक-I या II** में नहीं किया गया है, लेकिन जिसका उस पर भौतिक प्रभाव हो सकता है, तो कंपनी उसके संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण करेगी।

- इसके अलावा, यदि किसी नियामक, वैधानिक, प्रवर्तन या न्यायिक प्राधिकरण से संचार प्राप्त होने के बाद, सेबी विनियमन के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा किसी घटना या जानकारी का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है, तो कंपनी ऐसे संचार के साथ-साथ ऐसी घटना या जानकारी का प्रकटीकरण प्राधिकरण की ओर से किया जाना, निषेध है।

इसके अलावा, संबंधित विभागाध्यक्ष (एचओडी) अपने संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़ी किसी भी घटना या सूचना के बारे में कंपनी सचिव को तुरंत सूचना देने के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि ऐसी किसी घटना या सूचना का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है या वह महत्वपूर्ण प्रकृति की है, लेकिन संबंधित विभागाध्यक्ष के ज्ञान में नहीं है या बाद में उसके ज्ञान में आती है, तो संबंधित विभागाध्यक्ष को इसके बारे में पता चलने पर तुरंत कंपनी सचिव को इसकी सूचना देनी होगी।

ऐसी घटना या सूचना की सूचना प्राप्त होने पर, कंपनी सचिव द्वारा मामले की समीक्षा की जाएगी तथा तदनुसार प्रकटीकरण किया जाएगा।

स्टॉक एक्सचेंज का प्रकटीकरण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति	**प्राधिकृत व्यक्ति का संपर्क विवरण**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	आरईसी वैश्विक मुख्यालय, प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम फोन : 0124-444 1302/39 ई मेल : cmd@recl.in
निदेशक (वित्त)	आरईसी वैश्विक मुख्यालय, प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर 29, गुरुग्राम फोन : 0124-444 1319 ई मेल : complianceofficer@recl.in
कंपनी सचिव	आरईसी वैश्विक मुख्यालय, प्लॉट नंबर आई -4, सेक्टर 29, गुरुग्राम फोन : 0124-444 1331 ई मेल : jsamitabh@recl.in

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को प्रकटीकरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (व्यक्तियों) में किसी भी परिवर्तन को मंजूरी देने या इस प्रयोजन के लिए किसी अन्य केएमपी को नामित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो सकता है।

V. घटनाओं या जानकारी का प्रकटीकरण:

1. **कंपनी सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के समक्ष उन सभी घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण करेगी जो इस विनियमन के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण हैं, यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में निम्नलिखित से अधिक नहीं:**

(i) निदेशक मंडल की बैठक के समापन से तीस मिनट के भीतर, जिसमें घटना या सूचना से संबंधित निर्णय लिया गया हो;
(ii) घटना या सूचना के घटित होने से बारह घंटे के भीतर, यदि घटना या सूचना कंपनी के भीतर से उत्पन्न हो रही हो;
(iii) घटना या सूचना के घटित होने से चौबीस घंटे के भीतर, यदि घटना या सूचना कंपनी के भीतर से उत्पन्न नहीं हो रही है:

इसके अलावा, जिन घटनाओं के लिए समय-सीमा **अनुलग्नक –I** या **अनुलग्नक -II** में निर्दिष्ट की गई है, उनके संबंध में प्रकटीकरण ऐसी समय-सीमा के भीतर किया जाएगा। एलओडीआर विनियमों की **अनुलग्नक III** के भाग ए में निर्दिष्ट घटनाओं के प्रकटीकरण के लिए विस्तृत समय-सीमा अनुबंध-**III** के रूप में संलग्न है।

2. कंपनी इस नीति के **अनुलग्नक IV** में निर्दिष्ट जानकारी सहित सभी घटनाओं या सूचनाओं के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत सूचित करेगी, जिसका सूचीबद्ध इकाई के प्रदर्शन/संचालन पर प्रभाव पड़ता हो, मूल्य संवेदनशील सूचना या कोई कार्रवाई जो गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के ब्याज मोचन के भुगतान को प्रभावित करेगी।

*स्पष्टीकरण - '**शीघ्र सूचित करें**' से तात्पर्य यह है कि स्टॉक एक्सचेंज को यथाशीघ्र और बिना किसी विलम्ब के सूचित किया जाना चाहिए तथा किसी तीसरे पक्ष को प्रदान करने से पहले सूचना पहले स्टॉक एक्सचेंज को दी जानी चाहिए।*

3. उपरोक्त खुलासों पर भौतिक घटनाक्रम भी नियमित आधार पर तब तक किए जाएंगे, जब तक कि प्रासंगिक स्पष्टीकरण के साथ घटना का समाधान/समापन नहीं हो जाता।

4. कंपनी किसी भी घटना या सूचना के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का विशिष्ट और पर्याप्त उत्तर प्रदान करेगी। इसके अलावा, कंपनी अपनी पहल पर स्टॉक एक्सचेंज को दी गई किसी भी घटना या सूचना की पुष्टि या खंडन कर सकती है।

VI. कंपनी की वेबसाइट पर सूचना की होस्टिंग:

कंपनी अपनी वेबसाइट पर ऐसी सभी घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण करेगी जो इस नीति के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को बताई गई हैं, और ऐसे प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट पर कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए और उसके बाद कंपनी की अभिलेखीय नीति के अनुसार होस्ट किए जाएंगे।

प्रकटीकरण करने के लिए जिम्मेदार केएमपी के संपर्क विवरण स्टॉक एक्सचेंज को बताए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, पॉलिसी का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा।

VII. संशोधन:

सीएमडी-आरईसी को समय-समय पर अधिसूचित वैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन के आलोक में इस नीति के किसी भी खंड को संशोधित करने की शक्ति होगी।

****

वे घटनाएँ जिनका प्रकटीकरण बिना किसी आवश्यक संबंधी दिशा-निर्देशों (सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची III के अनुसार) के लागू किए जाने की आवश्यकता है:

1. अधिग्रहण (अधिग्रहण के लिए समझौते सहित), व्यवस्था की योजना (विलय, विलय, विभाजन या पुनर्गठन), किसी इकाई (इकाइयों), प्रभाग (विभागों) की बिक्री या निपटान, सूचीबद्ध इकाई के उपक्रम (उपक्रमों) या सहायक कंपनी का संपूर्ण या पर्याप्त हिस्सा, सूचीबद्ध इकाई की सहयोगी कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री या कोई अन्य पुनर्गठन।

स्पष्टीकरण (1) - इस उप-अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, 'अधिग्रहण' शब्द का अर्थ होगा-

(i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण प्राप्त करना; या

(ii) किसी कंपनी में शेयर या वोटिंग अधिकार प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए समझौता करना, चाहे वह विद्यमान हो या निगमित होने वाली हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि –

क) सूचीबद्ध इकाई उक्त कंपनी में कुल शेयरों या वोटिंग अधिकारों का पांच प्रतिशत या उससे अधिक शेयर या वोटिंग अधिकार रखती है; या

ख) इस उप-अनुच्छेद के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उप-खंड (क) के तहत किए गए अंतिम प्रकटीकरण से होल्डिंग में परिवर्तन हुआ है और ऐसा परिवर्तन उक्त कंपनी में कुल शेयरधारिता या वोटिंग अधिकारों के दो प्रतिशत से अधिक है; या

ग) अधिग्रहण की लागत या जिस कीमत पर शेयर अधिग्रहित किए गए हैं, वह विनियमन 30 के उपविनियम (4) के खंड (i) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक है।

स्पष्टीकरण (2) - इस उप-अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, "सहायक कंपनी की बिक्री या निपटान" और "सहयोगी कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री" में शामिल होंगे-

i. किसी कंपनी में शेयरों या मतदान अधिकारों की बिक्री या बिक्री के लिए एक समझौता, जिससे कंपनी सूचीबद्ध इकाई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी नहीं रह जाती; या

ii. किसी सहायक या सहयोगी कंपनी में शेयरों या मतदान अधिकारों की बिक्री या बिक्री के लिए एक समझौता, जिससे बिक्री की राशि विनियमन 30 के उप-विनियमन (4) के खंड (i) के उप-खंड (ग) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो।

स्पष्टीकरण (3)- इस उप-पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, "उपक्रम" और "मूल रूप से संपूर्ण उपक्रम" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के तहत दिया गया है।

2. प्रतिभूतियों का जारी करना या जब्त करना, शेयरों का विभाजन या समेकन, प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, प्रतिभूतियों की हस्तांतरणीयता पर कोई प्रतिबंध या जब्ती सहित मौजूदा प्रतिभूतियों की शर्तों या संरचना में परिवर्तन, जब्त की गई प्रतिभूतियों का पुन: जारी करना, कॉल में परिवर्तन, प्रतिभूतियों का मोचन आदि।
3. नई रेटिंग या रेटिंग में संशोधन।
4. निदेशक मंडल की बैठकों का परिणाम: सूचीबद्ध इकाई निम्नलिखित पर विचार करने के लिए आयोजित बैठक के समापन के 30 मिनट के भीतर एक्सचेंज को बताएगी:

क) अनुशंसित या घोषित लाभांश और/या नकद बोनस या किसी लाभांश को पारित करने का निर्णय और वह तिथि जिस पर लाभांश का भुगतान/प्रेषण किया जाएगा;

ख) लाभांश को उसके कारणों सहित रद्द करना;

ग) प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद पर निर्णय;

घ) प्रस्तावित निधि जुटाने के संबंध में निर्णय

ङ) पूंजीकरण के माध्यम से बोनस शेयरों के निर्गम द्वारा पूंजी में वृद्धि, जिसमें वह तिथि शामिल है जिस पर ऐसे बोनस शेयरों को जमा/प्रेषित किया जाएगा;

च) जब्त शेयरों या प्रतिभूतियों का पुनः निर्गम, या भविष्य के निर्गम के लिए आरक्षित शेयरों या प्रतिभूतियों का निर्गम या किसी भी रूप या तरीके से नए शेयरों या प्रतिभूतियों या किसी अन्य अधिकार, विशेषाधिकार या लाभ का सृजन;

छ) कॉल सहित पूंजी के किसी अन्य परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण;

ज) वित्तीय परिणाम;

झ) सूचीबद्ध इकाई द्वारा स्टॉक एक्सचेंज से स्वैच्छिक डीलिस्टिंग पर निर्णय:

बशर्ते कि बोर्ड की बैठकें एक दिन से अधिक समय के लिए आयोजित की जाती हैं, जिस दिन उस पर विचार किया गया है, उस दिन की बैठक समाप्त होने के तीस मिनट के भीतर वित्तीय परिणाम प्रकट किए जाएंगे।

5. समझौते (जैसे शेयरधारक समझौते, संयुक्त उद्यम समझौते, पारिवारिक समझौता (इस सीमा तक कि यह सूचीबद्ध इकाई के प्रबंधन और नियंत्रण को प्रभावित करता है), मीडिया कंपनियों के साथ समझौते/संधि/अनुबंध जो बाध्यकारी हैं और सामान्य व्यवसाय के क्रम में नहीं हैं, उनका संशोधन या संशोधन और समाप्ति।

6. शेयरधारकों, प्रमोटरों, प्रमोटर समूह संस्थाओं, संबंधित पक्षों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, सूचीबद्ध संस्था या उसकी होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आपस में या सूचीबद्ध संस्था के साथ या किसी तीसरे पक्ष के साथ, अकेले या संयुक्त रूप से किए गए समझौते, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिनका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध संस्था के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना है या सूचीबद्ध संस्था पर कोई प्रतिबंध लगाना या कोई देयता बनाना है, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट किए जाएंगे, जिसमें ऐसे समझौतों के किसी भी रद्दीकरण, संशोधन या परिवर्तन का प्रकटीकरण शामिल है, चाहे सूचीबद्ध संस्था ऐसे समझौतों की पक्षकार हो या नहीं:

बशर्ते कि सूचीबद्ध संस्था द्वारा सामान्य व्यवसाय के क्रम में किए गए ऐसे समझौतों का तब तक प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिनका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध संस्था के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना है या उन्हें इन विनियमों के किसी अन्य प्रावधान के अनुसार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से" शब्द में ऐसे समझौते शामिल हैं जो ऐसे समझौतों के पक्षों पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व बनाते हैं कि सूचीबद्ध इकाई किसी विशेष तरीके से कार्य करेगी या नहीं करेगी।

7. किसी सूचीबद्ध इकाई, उसके प्रमोटर, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन या सहायक कंपनी द्वारा धोखाधड़ी या चूक या सूचीबद्ध इकाई के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमोटर या निदेशक की गिरफ्तारी, चाहे वह भारत में हुई हो या विदेश में:

इस उप-पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए:

i. 'धोखाधड़ी' में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ीपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहारों का निषेध) विनियम, 2003 के विनियमन 2(1)(ग) के अंतर्गत परिभाषित धोखाधड़ी शामिल होगी।

ii. 'डिफ़ॉल्ट' का अर्थ उस तिथि को ब्याज या मूल राशि का पूर्ण भुगतान न करना होगा, जिस दिन ऋण देय और भुगतान योग्य हो गया हो।

स्पष्टीकरण 1- नकद ऋण जैसी परिक्रामी सुविधाओं के मामले में, यदि बकाया राशि लगातार तीस दिनों से अधिक समय तक स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से अधिक रहती है, तो इकाई को 'डिफ़ॉल्ट' माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2- प्रमोटर, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, सहायक कंपनी द्वारा डिफ़ॉल्ट का अर्थ है वह डिफ़ॉल्ट जिसका सूचीबद्ध इकाई पर प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है।

8. निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव आदि), [वरिष्ठ प्रबंधन,] लेखा परीक्षक और अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन।

9. सूचीबद्ध इकाई के लेखा परीक्षक के त्यागपत्र की स्थिति में, उक्त लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारणों को सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा यथाशीघ्र स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष प्रकट किया जाएगा, लेकिन लेखा परीक्षक से ऐसे कारणों की प्राप्ति के चौबीस घंटे के भीतर।

10. त्यागपत्र के कारणों सहित स्वतंत्र निदेशक का त्यागपत्र: सूचीबद्ध इकाई के स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र की स्थिति में, त्यागपत्र की तिथि से सात दिनों के भीतर, सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएंगे:

(i) उक्त निदेशक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारणों सहित त्यागपत्र।
(ii) उन सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें त्यागपत्र देने वाला निदेशक निदेशक पद पर है, जिसमें निदेशक पद की श्रेणी और बोर्ड समितियों की सदस्यता, यदि कोई हो, दर्शाई जाएगी।
(iii) स्वतंत्र निदेशक को विस्तृत कारणों के साथ यह पुष्टि भी देनी होगी कि दिए गए कारणों के अलावा कोई अन्य भौतिक कारण नहीं है।
(iv) स्वतंत्र निदेशक द्वारा दी गई पुष्टि को सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष उप-खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट प्रकटीकरणों के साथ प्रकट किया जाएगा।

11. स्वतंत्र निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी या निदेशक के त्यागपत्र के मामले में; प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी या निदेशक द्वारा दिए गए त्यागपत्र के विस्तृत कारणों के साथ सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा ऐसे त्यागपत्र के प्रभावी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष प्रकट किया जाएगा।

12. यदि सूचीबद्ध इकाई का प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नब्बे दिनों की किसी भी रोलिंग अवधि में पैंतालीस दिनों से अधिक समय तक नियमित रूप से भूमिका की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्वस्थ या अनुपलब्ध था, तो ऐसी अस्वस्थता या अनुपलब्धता के कारणों के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज को इसका प्रकटीकरण किया जाएगा।

13. शेयर ट्रांसफर एजेंट की नियुक्ति या समाप्ति।

14. बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण/उधार के संबंध में समाधान योजना/पुनर्गठन जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

(i) ऋण/उधार के समाधान की पहल करने का निर्णय;
(ii) ऋणदाताओं द्वारा अंतर-ऋणदाता समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर;
(iii) समाधान योजना को अंतिम रूप देना;
(iv) समाधान योजना का कार्यान्वयन;

(v) ऋणदाताओं द्वारा तय समाधान/पुनर्गठन योजना की मुख्य विशेषताएं, जिनमें वाणिज्यिक रहस्य शामिल नहीं हैं।

15. बैंक के साथ एकमुश्त समझौता।

16. किसी भी पक्ष/ऋणदाता द्वारा दायर समापन याचिका।

17. शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों या ऋणदाताओं या उनमें से किसी भी वर्ग को भेजे गए नोटिस, कॉल लेटर, संकल्प और परिपत्र जारी करना या सूचीबद्ध इकाई द्वारा मीडिया में विज्ञापित करना।

18. सूचीबद्ध इकाई की वार्षिक और असाधारण आम बैठकों की कार्यवाही।

19. सूचीबद्ध इकाई के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों में संशोधन, संक्षेप में।

20. (क) विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों की बैठकों की अनुसूची कम से कम दो कार्य दिवस पहले (सूचना की तारीख और बैठक की तारीख को छोड़कर) और सूचीबद्ध इकाई द्वारा विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों को दी गई प्रस्तुतियाँ।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए 'बैठक' का अर्थ समूह बैठकें या समूह सम्मेलन कॉल होगा जो भौतिक रूप से या डिजिटल माध्यमों से आयोजित की जाती हैं।

(ख) पोस्ट अर्निंग/तिमाही कॉल की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रतिलिपियाँ, चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाएँ, भौतिक रूप से या डिजिटल माध्यमों से आयोजित की जाएँ, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(ओं) को प्रस्तुत करने के साथ-साथ, निम्नलिखित तरीके से:

(i) प्रस्तुति और ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएँगी और किसी भी मामले में, अगले कारोबारी दिन से पहले या ऐसी कॉल के समापन से चौबीस घंटे के भीतर, जो भी पहले हो;
(ii) ऐसी कॉल्स की प्रतिलिपियाँ ऐसी कॉल्स के समापन के पाँच कार्य दिवसों के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएँगी:

21. दिवाला संहिता के अंतर्गत सूचीबद्ध निगम देनदार की निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के संबंध में निम्नलिखित घटनाएँ:

क) निगम आवेदक द्वारा सीआईआरपी आरंभ करने के लिए आवेदन दाखिल करना, जिसमें चूक की राशि भी निर्दिष्ट की गई हो;
ख) निगम देनदार के विरुद्ध सीआईआरपी आरंभ करने के लिए वित्तीय लेनदारों द्वारा आवेदन दाखिल करना, जिसमें चूक की राशि भी निर्दिष्ट की गई हो;
ग) न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन की स्वीकृति, साथ ही चूक या अस्वीकृति या वापसी की राशि, जैसा भी लागू हो;
घ) दिवाला संहिता की धारा 13 के अंतर्गत न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में की गई सार्वजनिक घोषणा;
ङ) आईबीबीआई (निगम के व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 13(2)(ग) के अंतर्गत निगम देनदार द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए अपेक्षित लेनदारों की सूची;
च) समाधान पेशेवर की नियुक्ति/प्रतिस्थापन;
छ) लेनदारों की समिति की बैठकों की पूर्व या बाद में सूचना;
ज) आईबीबीआई (निगम व्यक्तियों के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 36ए(5) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रपत्र में दिवालियापन संहिता की धारा 25(2)(ज) के अंतर्गत समाधान योजनाओं के आमंत्रण का संक्षिप्त विवरण;
झ) समाधान पेशेवर द्वारा प्राप्त समाधान योजनाओं की संख्या;

ञ) न्यायाधिकरण के समक्ष समाधान योजना दाखिल करना;

ट) न्यायाधिकरण द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन या अस्वीकृति, यदि लागू हो;

ठ) दिवालियापन संहिता के अंतर्गत न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना की विशिष्ट विशेषताएं और विवरण, जिसमें वाणिज्यिक रहस्य शामिल न हों, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हों:

(i) कंपनी का पूर्व और पश्चात निवल मूल्य;

(ii) सीआईआरपी के पश्चात कंपनी की परिसंपत्तियों का विवरण;

(iii) कंपनियों की परिसंपत्तियों पर लगाए जाने वाले प्रतिभूतियों का विवरण;

(iv) कंपनी पर लगाए गए अन्य भौतिक दायित्व;

(v) परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के 100% रूपांतरण को मानते हुए शेयरधारिता से पहले और बाद का विस्तृत पैटर्न;

(vi) कंपनी में निवेश किए गए फंड, भुगतान किए गए लेनदारों का विवरण;

(vii) लेनदेन के कारण आने वाले निवेशकों पर अतिरिक्त देयता, ऐसे वित्तपोषण का स्रोत आदि;

(viii) निवेशक पर प्रभाव - संशोधित पी/ई, आरओएनडब्ल्यू अनुपात आदि;

(ix) नए प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के नाम, यदि कोई हो और व्यवसाय या रोजगार में उनका पिछला अनुभव। ऐसे मामले में जहां प्रमोटर कंपनियां हैं, ऐसी कंपनी का इतिहास और नियंत्रण में प्राकृतिक व्यक्तियों के नाम;

(x) व्यवसाय रणनीति का संक्षिप्त विवरण।

ड) कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें वाणिज्यिक रहस्य शामिल न हों।

ढ) एमपीएस प्राप्त करने के लिए आने वाले निवेशक/अधिग्रहणकर्ता द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम;

ण) एमपीएस प्राप्त करने की स्थिति का तिमाही प्रकटीकरण;

त) समाधान योजना में अनुमोदित डीलिस्टिंग योजनाओं के बारे में विवरण।

22. फोरेंसिक ऑडिट की शुरुआत: फोरेंसिक ऑडिट (चाहे किसी भी नाम से) की शुरुआत के मामले में, सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएंगे:

क. फोरेंसिक ऑडिट की शुरुआत का तथ्य, ऑडिट शुरू करने वाली संस्था का नाम और इसके कारण, यदि उपलब्ध हों;
ख. सूचीबद्ध संस्था द्वारा प्राप्त होने पर अंतिम फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा शुरू की गई फोरेंसिक ऑडिट के अलावा) प्रबंधन की टिप्पणियों के साथ, यदि कोई हो।

23. किसी सूचीबद्ध संस्था के निदेशकों, प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा सोशल मीडिया मध्यस्थों या मुख्यधारा के मीडिया के माध्यम से किसी घटना या सूचना के संबंध में घोषणा या संचार, जो इन विनियमों के विनियमन 30 के संदर्भ में सूचीबद्ध संस्था के लिए महत्वपूर्ण है और सूचीबद्ध संस्था द्वारा पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराई गई है। स्पष्टीकरण – "सोशल मीडिया मध्यस्थों" का वही अर्थ होगा जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत परिभाषित किया गया है।

अनुवाद किया जा रहा है।